



Neutral Citation No. -2026: AHC:179217

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29989/2026

अमन यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: अली हसन, आसिफ हसन

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री अली हसन तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-1, डॉ. एस.बी. मौर्य को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 50/2026, अंतर्गत धारा 109(1), 309(4), 317(2), 311 एवं 3(5) BNS, थाना-जफराबाद, जनपद-जौनपुर में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं, यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई नामजद नहीं था किंतु विवेचना के दौरान आवेदक को उसके कथित इकबालिया बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया। वह इसके अतिरिक्त प्रस्तुत करते हैं, आवेदक के पुलिस के समक्ष दिए गए बयान तथा ₹8,800 की बरामदगी के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।
4. इसके अतिरिक्त वह प्रस्तुत करते हैं, उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर प्रथमदृष्टया इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की तथा उसके पैसे लूटे। यह भी कहा गया कि बरामद ₹8,800 आवेदक के स्वयं के थे।
5. वे आगे कहते हैं, तथापि, आवेदक का पूर्व में तीन मामलों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन वे सभी मामले छोटे/मामूली अपराधों से संबंधित थे तथा जब वह वर्तमान मामले में गिरफ्तार हुआ तब उसे तीन अन्य मामलों में

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भी अभियुक्त बना दिया गया किंतु उसके आपराधिक इतिहास का वर्तमान जमानत आवेदन में स्पष्टीकरण दिया गया है।

6. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, वर्तमान मामले में आवेदक 13.03.2026 से जेल में है तथा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।

9. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है तथा यह परिलक्षित होता है, विवेचना के दौरान आवेदक को उसके कथित स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया तथा विवेचक द्वारा दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति बयान तथा आवेदक के कब्जे से बरामद ₹8,800 के अतिरिक्त अभिलेख पर उसके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। वर्तमान जमानत आवेदन में, आवेदक ने विशेष रूप से कहा है कि बरामद धनराशि उसी की थी।

10. मामले के तथ्यों को देखते हुए, न्यायालय ने पाया कि आवेदक के अधिवक्ता का यह तर्क प्रथमदृष्टया उचित है कि आवेदक को वर्तमान अपराध से जोड़ने वाला कोई ठोस साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

11. इसके अतिरिक्त, आवेदक का छह अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें पूर्व के तीन मामले मामूली अपराधों से संबंधित हैं तथा यह परिलक्षित होता है, वर्तमान मामले के साथ-साथ वह उसे तीन अन्य मामलों में भी अभियुक्त बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक के संपूर्ण आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण वर्तमान जमानत आवेदन में दिया गया है।

12. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में आवेदक 13.03.2026 से जेल में है।

13. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है।

14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमक्त व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. आवेदक- **अमन यादव** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों को प्रकट करने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक अथवा असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

16. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं। इन टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगस्त 25, 2026

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)